कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 46/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री रोहिताश कुमार सिलण पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर पंचायत समिति भादरा, जिला हनुमानगढ़। ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा। ——प्रत्यर्थी

आदेश दिनांकः—17.10.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा यह अपील संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी—भादरा व लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति—भादरा के संबंध में की गई है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी—भादरा से बिन्दु संख्या 1 से 6 तक ग्राम पंचायत—भोजासर से सम्बन्धित सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत—भोजासर से सूचना दिलाये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा से पत्र क्रमांक 1475 दिनांक 19.09.2019 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया। इस अपील का अवलोकन करने से अपीलार्थी की यह अपील संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी—भादरा व लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति—भादरा के सम्बन्ध में पाई गई। यह अपील लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा की हद तक अपील दर्ज करते हुए अपील की एक चित्रप्रति प्रधान पंचायत समिति—भादरा को प्रेषित करते हुए जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ अपीलार्थी को प्रेषित की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा के उक्त पत्र का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत पत्रांक 1025 दिनांक 17.07.2019 द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति—भादरा को अंतरित करते हुए जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया।

अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.2019 के अनुसार एवं इसके साथ सलंग्न लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत—भोजासर के पत्रांक 68 दिनांक 22.08.2019 का अवलोकन से पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत—भोजासर ने अपीलार्थी को यह सूचना उपलब्ध करवाई कि सूचना के अधिकार अधिनियम 7(9) के तहत चाही गई सूचना अद्वेयता की श्रेणी में आती है। इस प्रकार अपीलार्थी का यह कथन सत्य नहीं है कि उसके प्रार्थना पत्र पर उसे कोई सूचना नही दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official